

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 51/2018

बउनवान

राधाकिशन पुत्र नेना जाति—भील निवासी—बमूलिया जोगियान
तहसील—अन्ता जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार,अन्ता

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक
2. पेरोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक — 26.11.2020

1— अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बमूलिया जोगियान, तहसील—अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 05 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर खडी फसल से बेदखली, जप्ती, 640/—रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2— अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का



कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से पूर्व से कब्जा छोड़ रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये पश्चात्वर्ती मानकर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2066 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर सम्वत् 2066 में बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 98/2018 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां